झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्रांक– वि0प्रा0विविध–39/09 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– राजकीय पोलिटेकनिक खरसावॉ के स्थापना का वित्तीय वर्ष 2024–25 तक के लिये अवधि विस्तार के संबंध में।

आदेशः–स्वीकृत।

दिनांक 27.04.2004 को माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में सरायकेला जिला में नये पोलिटेकनिक संस्थान प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संलेख ज्ञापांक 1651 दिनांक 30.12.2005 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2006 के मद संख्या 08 के रूप में सम्मिलित करते हुए राजकीय क्षेत्र में खरसावॉ के नए पोलिटेकनिक संस्थान के स्थापना की अनुमति प्रदान की गई है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1037 दिनांक 31.07.2006 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक खरसावॉ में योजनान्तर्गत हेतु शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों यथा राजपित्रत 33 (तैंतीस), अराजपत्रित 51 (एकावन) कुल 84 पदों की सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. उपर्युक्त पदों को AICTE के मापदण्ड के आलोक में शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1114 दिनांक 05.12.2023 द्वारा पुनर्संरचना के पश्चात राजपित्रत 22 (बाईस), अराजपत्रित 37 (सैंतीस) कुल 59 पदों का सृजन/चिन्हित किया गया है।

4. वित्तीय वर्ष 2006–07 से राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावॉ लगातार कार्यरत है एवं प्रत्येक वर्ष छात्रों का नामाकंन किया जा रहा है। यह पोलिटेकनिक संस्थान योजनान्तर्गत संचालित है तथा कर्मचारियों के वेतनादि का भुगतान योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से की जाती है। योजना मद अन्तर्गत संचालित सभी पद स्थायी प्रकृति के है।

5. वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा योजनान्तर्गत बजट को राज्य स्कीम के रूप में नामित करते हुए राशि आवंटित की जा रही है।

6. वर्त्तमान में राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावॉ संचालित है एवं भविष्य में भी संचालित रहेगी। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 03/योजना दिनांक 11.05.2023 के द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावॉ का राज्य स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों यथा राजपत्रित 33 एवं अराजपत्रित 51 कुल 84 स्वीकृत पदों का अवधि विस्तार प्रदान किया जा चुका है।

7. अतः विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1114 दिनांक 05.12.2023 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावॉं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु AICTE के मापदण्ड के आलोक में शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु पुनर्संरचना के पश्चात चिन्हित/सृजित राजपत्रित के 22 (बाईस) पद तथा अराजपत्रित के 37 (सैंतीस) पद अर्थात कुल 59 पदों का राज्य स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिये अवधि विस्तार प्रदान किया जाता है।
8. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
9. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/—
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक—वि0प्रा0विविध—39/09 /राँची, दिनांक—
प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सरायकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक—वि0प्रा0विविध—39/09/04/योजना /राँची, दिनांक— 03.06.2024
प्रतिलिपि :— वित्त विभाग/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आतंरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावॉं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.5.24
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव